19

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी–1163–तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.03.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 684/12–13/अपील

गणेशराम पुत्र स्व0 श्री खचेरीलाल
निवासी कृष्णगंज पोहरी जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

1. द्वारका प्रसाद पुत्र स्व0 श्री खचेरीलाल
   निवासी शक्तिपुरम खुड़ा तह0 व जि0
   शिवपुरी (म.प्र.)
2. बच्चनलाल
3. सीताराम पुत्रगण स्व0 श्री खचेरीलाल
   निवासी सदर बाजार टेकरी जिला शिवपुरी
4. सुरेश कुमार
5. महेश कुमार पुत्रगण स्व0 श्री खचेरीलाल
   निवासी नाई की बगिया जिला शिवपुरी
6. श्रीमती शांतिबाई पुत्र खचेरीलाल पत्नी
   रामजीलाल आदर्श नगर शिवपुरी (म.प्र.) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद गोहरकर
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सी.एम. गुप्ता

आदेश

(आज दिनांक 07/02/18 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 684/12–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 20.03.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय द्वारा पंजी क. 20 दिनांक 20.08.2008 द्वारा भूमि सर्वे कमांक 46/2 रकवा 0.13 हे. पर अनावेदकगण के हक में नामांकरण किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 21.09.2012 द्वारा स्वीकार की जाकर उभयपक्ष के हक में नामांतरण के आदेश दिए। जिसके विरुद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 20.03.2014 द्वारा स्वीकर किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अपास्त कर ग्राम पंचायत का आदेश पुर्नस्थापित किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि भूमि खसरा नं. 46/2 रकवा 0.13 हे. स्थित ग्राम माधोपुरा तह0 पोहरी जिला शिवपुरी के आवेदक के पिता स्व0 श्री खचेरीलाल पुत्र स्व0 श्री सामलिया भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी थे। मृतक खचेरीलाल के वारिसान में पुत्रगण आवेदक तथा अनावेदक क. 1 लगायत 5 तथा पुत्री अना0 क. 6 है। तथा मृतक स्व0 श्री खचेरीलाल के स्थान पर उक्त भूमि पर समान भाग से नामांतरण कराने के अधिकारी हैं। इस कारण अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधि एवं न्याया की प्रकिया के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक ने अपने स्वत्व का त्याग नहीं किया और ना ही अपने स्वत्व के संबंध में कोई संपादित विलेख हस्तांतरित किया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का उक्त भूमि पर हक एवं स्वत्व समाप्त नहीं होता है। अतः नामांतरण मृतक खचेरीलाल के संपूर्ण वारिसान के मध्य किया जाना चाहिए।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि प्रकरण में न तो कोई गोदनामा प्रस्तुत हुआ और न ही कोई गोदनामा प्रमाणित किया गया। आवेदक को गोद नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि स्वत्व के निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पोहरी के समक्ष प्रस्तुत आवेदन–पत्र धारा–5 मर्यादा अधिनियम का जवाब अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनावेदकगण द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि मृतक खचेरीलाल का आवेदक पुत्र नहीं है। इस तथ्य की बिना साक्ष्य लिए निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता तथा गोदनामा के संबंध में साक्ष्य एकत्रित की जाना आवश्यक थी। इन सब तथ्यों के विपरीत मात्र संभावनाओं के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा वैधानिक प्रकिया अपनाई जाकर वारिसान का सिजरा ग्रामवासियों द्वारा प्रमाणित किए जाने पर अनावेदकगण के हक में आलोच्य भूमि पर नामांतरण के आदेश दिए गए थे। पंजी पर आवेदक गणेशराम ने सहमति के हस्ताक्षर किए थे।

उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक मांगीलाल के यहां गोद चला गया था और उसके द्वारा मांगीलाल के फौत हो जाने पर उसके स्वामित्व की भूमियों में पुत्र की हैसियत से हिस्सा प्राप्त किया गया है जिसका प्रमाण विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। इसलिए उसे अब खचेरीलाल की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों एवं अभिलेख के अवलोकन उपरांत यह पाया है कि पंजी पर ग्राम वासियों द्वारा सिजरा प्रमाणित किया गया है तथा पंजी पर आवेदक गणेशराम के साक्षी

के रूप में हस्ताक्षर अंकित हैं । उक्त हस्ताक्षर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत वकालात नामा से मेल खाते हैं । गणेशराम को नामांतरण की जानकारी थी और उसके द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आपत्ति नहीं की गई । उन्होंने यह भी पाया है कि मांगीलाल पुत्र सामलिया के फौत होने पर वारिसान की हैसियत से गणेशराम ने हिस्से में भूमि प्राप्त की है । उनका यह निष्कर्ष भी विधिसम्मत है कि खचेरी के फौत होने पर वारिसान के हक में हुए नामांतरण में उसके द्वारा सहमति बावत हस्ताक्षर होने से वह गणेशराम पर आबद्धकर है और उसे नामांतरण कार्यवाही को चुनौती देने का अधिकार नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी सही है कि आवेदक द्वारा मांगीलाल की भूमियों में पुत्र की हैसियत से हिस्सा लिया गया है इस कारण उसे खचेरी की भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह गया है । उक्त तथ्यों को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनदेखा किये जाने के कारण अपर आयुक्त ने उनके आदेश को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2014 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर